City of Santa Clara
The Center of What's Possible

सांता क्लारा 3 मार्च 2020
विशेष चुनाव

सांता क्लारा के लोगों को मतपत्र पर दो आइटम मिलेंगे: (1) विधेयक C और (2) पुलिस प्रमुख का चुनाव।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वेबसाइट पर जाएं: SantaClaraCA.gov/Elections

विधेयक C के बारे में जानकारी

सवाल: विधेयक C क्या है?

जवाब: विधेयक C एक मतपत्र विधेयक है. जिसका मकसद परिषद के सदस्यों के ज़िलावार चुनाव के लिए नगर के चार्टर में संशोधन करना है।

सवाल: विधेयक C को मतपत्र में क्यों शामिल किया गया है?

जवाब: 2018 में, मतदाताओं ने विधेयक N को 70% से ज़्यादा मतों से पारित किया था। विधेयक N में मतदाताओं से पूछा गया था कि क्या सांता क्लारा शहर के द्वारा मतदाताओं को एक सार्वजनिक प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए जिसके तहत, नगर प्रमुख को छोड़कर, परिषद के सदस्यों के ज़िलावार चुनाव के लिए एक 'चार्टर संशोधन' मतपत्र का मसौदा तैयार किया जा सके।

2019 में, नगर परिषद ने इस सार्वजनिक प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक सात-सदस्यीय चार्टर समीक्षा समिति की नियुक्ति की। विधेयक C को समिति के द्वारा की गई सिफ़ारिशों और जनता के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया था।

सवाल: विधेयक C क्या करता है?

जवाब: अगर विधेयक C को मंज़ूर कर लिया जाता है, तो सांता क्लारा के लोग:

- परिषद सदस्यों का ज़िलावार चुनाव करेंगे;
- 2020 के चुनाव के लिए छह ज़िलों की स्थापना करेंगे, जिसमें परिषद का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक ज़िले का प्रतिनिधित्व करेगा (नवंबर 2020 के मतपत्र पर परिषद ज़िले 1, 4, 5 और 6 होंगे);
- 2022 और उसके बाद के चुनाव के लिए तीन ज़िलों की स्थापना करेंगे, जिसमें परिषद के दो सदस्य प्रत्येक ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सवाल: विधेयक C नगर प्रमुख, पुलिस प्रमुख और नगर लिपिक के लिए होने वाले मतदान को कैसे प्रभावित करता है?

जवाब: यह उनके लिए होने वाले मतदान को प्रभावित **नहीं** करता है। नगर प्रमुख, पुलिस प्रमुख और नगर लिपिक के नगरवार चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।

City of Santa Clara
The Center of What's Possible

City of Santa Clara
1500 Warburton Avenue
Santa Clara, CA 95050

PRSRT STD
US POSTAGE
PAID
PERMIT 92
SANTA CLARA, CA

सवाल: विधेयक C के तहत और क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं?

जवाब: अगर विधेयक C को मंज़ूर कर लिया जाता है, तो सांता क्लारा के लोग:

- केवल उन्हीं परिषद उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे, जो चुनाव लड़ने हेतु नामांकन की आखिरी तारीख से कम से कम 30 दिन पहले तक उन्हीं ज़िलों के निवासी रहे हों जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं;
- केवल उन्हीं नगर प्रमुख, पुलिस प्रमुख और नगर लिपिक उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे, जो चुनाव लड़ने हेतु नामांकन की आखिरी तारीख से कम से कम 30 दिन पहले तक सांता क्लारा के निवासी रहे हों; और
- तीनों परिषद ज़िलों की सीमा रेखाएं तय करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्ज़िलाकरण समिति की स्थापना को अनिवार्य बनाएंगे।

सवाल: चुनाव कब है?

जवाब: चुनाव 3 मार्च 2020 को होगा।

सवाल: मैं मतदान करने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?

जवाब: अगर आप मतदान करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं और पंजीकृत होना चाहते हैं, तो आपको 18 फ़रवरी 2020 के पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आप पंजीकरण फ़ॉर्म को सांता क्लारा सिटी हॉल में पा सकते हैं या आप मतदान करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं: registertovote.ca.gov 3 मार्च 2020 के चुनाव से शुरू होकर, सभी पंजीकृत मतदाताओं को डाक के ज़रिए मतदान करने का एक मतपत्र भेजा जाएगा, चाहे उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया हो या नहीं।

मतपत्र पर विधेयक C इस तरह से दिया होगा:

विधेयक C मतपत्र सवाल	
ज़िला परिषद चुनाव। क्या परिषद सदस्यों, नगर प्रमुख को छोड़कर, के ज़िलावार चुनाव के लिए नगर चार्टर में बदलाव किया जाएगा, जैसा कि आगे दिया गया है: 2020 के चुनाव के लिए छह ज़िलों की स्थापना करना जिसमें हर ज़िले का एक-एक परिषद सदस्य के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए; और, 2022 से शुरू करते हुए तीन ज़िलों की स्थापना करना जिसमें हर ज़िले का दो-दो परिषद सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए; और एक स्वतंत्र पुनर्ज़िलाकरण समिति को अनिवार्य बनाना?	हां नहीं

City of Santa Clara
The Center of What's Possible